न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.
प्रकरण संख्या:—59/2021 दायर दिनांक:—16.12.2021

जीसीएमएस नं. 2021/604

रविन्द्र उम्र 20 साल पुत्र भौरीलाल, जाति जाटव निवासी बंध का नगला, तहसील सूरीठ जिला करौली (राज०)

——प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरीठ जिला करौली राजस्थान।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितः— 1. श्री शाहिद अली वकील प्रार्थीगण
2. श्री पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

निर्णय दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1440 रकवा 15 ऐयर, 1441 रकवा 13 ऐयर, 1442 रकवा 59 ऐयर, 1443 रकवा 25 ऐयर, 1444 रकवा 26 ऐयर, 1445 रकवा 18 ऐयर, 1446 रकवा 09 ऐयर, 1447 रकवा 08 ऐयर, 1448 रकवा 16 ऐयर, 1451 रकवा 50 ऐयर, 1602 रकया 14 ऐयर कुल किता 11 कुल रकवा 2.53 है० बांके ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील सूरीठ, जिला करौली में स्थित है. उक्त आराजयात की खातेदारी प्रार्थी के पिता भौरीलाल पुत्र खचेरा, हिस्सा 1/16 माग की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नं० 1 प्रार्थनापत्र में दर्ज आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 615 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा 617 रकवा 2 विस्वा, 618 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा, 619 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा, 621 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा बांके ग्राम हुक्मीखेडा, में स्थित है. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 में प्रार्थी के पिता भौरीलाल पुत्र खचेरा के नाम वहिस्सा 1/16 भाग दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:42:28 IST
Reason: SelfAttested

दौराने सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना अधिकार व कानून के प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर मोतीलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जो बिल्कुल गलत, व खिलाफ कानूनन है. सेटिलमेन्ट कर्मचारियों को जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टियों को यों कि त्यों रिपीट अगली जमाबन्दी में करना

था, न कि उनमें कोई अदला बदली करनी थी, परन्तु उक्त प्रकरण में सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल की जगह मोतीलाल दर्ज कर दिया गया है. जबकि अन्य राजस्व गाँव की जमावन्दी में भौरीलाल प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज है, इसलिये मोतीलाल के स्थान पर भौरीलाल दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सभी सरकारी व गैरसरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है, तथा साथ में प्रार्थी के हक हकूक, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काफी प्रभावित हो रहे है, क्योंकि प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है. और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा भौरीलाल पुत्र खचेरा के नाम से जारी हुआ है, जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के हक में नामान्तकरण भी नहीं खोला जा
सका है। इसलिये प्राथर्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्राथी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्त करवाये जाने अपने पिता का नाम मोतीलाल के स्थान पर मौरीलाल का दिनांक 09.11.2021 को तहसीलदार सूरीठ के समक्ष पेश किया तो उन्होंने प्रार्थनापत्र अपने पास रख लिया, और कहा कि सक्षम न्यायालय में वाद पेश करो, इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश की जा रही है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पित्ता का नाम मोतीलाल पुत्र खचेरा को दुरूस्त करते हुये उनके स्थान पर सही नाम भौरीलाल पुत्र खचेरा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। तथा उक्त आदेश की तहरीर अमल दरामद हेतु तहसीलदार सूरौठ को जारी हो।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 200 दिनांक 15.04.2024 को जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:42:28 IST
Reason: SelfAttested

1. राजस्व ग्राम हुक्मीखेडा की हाल ऑनलाईन जमावंदी के खाता संख्या 380 व 381 में खातेदार का नाम मोतीलाल पुत्र खचेरा जाति जाटव दर्ज रिकॉर्ड है।
2. ग्राम बंध का नंगला की हाल ऑनलाईन जमावंदी के खाता संख्या 42 में मौरीलाल पिता खचेरीया जाति जाटव दर्ज रिकॉर्ड है।

3. संवत् 2038–42 ग्राम हुक्मीखेडा की जमाबंदी में खातेदार का नाम भौरीलाल पि० खचेरा दर्ज रिकॉर्ड है।

4. ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर एंव समस्त कागजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र., राशन कार्ड की जांच करने पर खातेदार का वास्तविक नाम भौरीलाल पि० खचेरा ज्ञात हुआ है उक्त अशुद्धि सेटलमेंट के दौरान हुई है।

5. खातेदार का नाम मोतीलाल पुत्र खचेरा की बजाय भौरीलाल पुत्र खचेरा किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने अपने वाद पत्र को साबित करने हेतु दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 380 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी 2063–66 खाता संख्या 327 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, जमाबंदी खतौनी संवत 2038–41, खतौनी संवत 2034–37 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, मृत्यु प्रमाण पत्र भौरीलाल जाटव पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने दौराने बहस में कहा कि खातेदार का नाम मोतीलाल पुत्र खचेरा की बजाय भौरीलाल पुत्र खचेरा किया जाना उचित है। जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जानें का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 380 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी 2063–66 खाता संख्या 327 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, जमाबंदी खतौनी संवत 2038–41, खतौनी संवत 2034–37 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, मृत्यु प्रमाण पत्र भौरीलाल जाटव है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का विवेचन करने पर पाया कि मुताबिक दस्तावेज व ग्रामीणों के अनुसार सही नाम भौरीलाल पुत्र खचेरा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:42:28 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न दस्तावेजो एव पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर मोतीलाल पुत्र खचेरा की बजाय भौरीलाल पुत्र खचेरा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खाता संख्या 380 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ स्वीकार कर मोतीलाल पुत्र खचेरा के स्थान पर भौरीलाल पुत्र खचेरा शुद्ध किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1/4/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:42:28 IST
Reason: SelfAttested